राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9 बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का सोलहवां दिवस संख्या 11

मंगलवार;
4 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्षः श्री जुबेर खान।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला मुख्यालय अलवर स्थित कार्यालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड-3 का रामगढ़ में स्थानान्तरण।

-श्री जुबेर खान (रामगढ़)

154.श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1.राज्य में अतिरिक्त सिविल न्यायाध्णीश(कनिष्ठ खण्ड) कार्यालय स्थापित करने हेतु क्या मानदण्ड हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सही है कि जिला अलवर में रामगढ़ ही एक ऐसा उपखण्ड(एस.डी.ओ.) है जहां पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधाश (कनिष्ठ खण्ड) कार्यालय स्थापित/ कार्यरत नहीं है ? यदि हां तो क्यों ?

3.क्या यह भी सही है कि जिला अलवर मुख्यालय पर कार्यरत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(कनिष्ठ खण्ड) नम्बर 3 द्वारा सिर्फ थाना रामगढ़ के मुकदमों की ही सुनवाई की जाती है ? यदि हां, तो कब से ?

4. क्या सरकार उपरोक्त न्यायालय नं. 3 को रामगढ़ स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री):खण्ड 1. राज्य सरकार द्वारा राज्य में नवीन अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हेतु उस क्षेत्र के 1700 से 2000 प्रकरण लंबित होने का मानदण्ड निर्धारित किया हुआ है। मानदण्ड की प्रति प्रदर्श-क संलग्न है।

खण्ड 2. जी हां। यह सही है कि जिला अलवर में रामगढ़ ही एक ऐसा उपखण्ड है जहां पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित/कार्यरत नहीं है। रामगढ़ उपखण्ड के लंबित प्रकरणों की संख्या न्यायालय स्थापना

हेतु निर्धारित मापदण्ड से कम है तथा रामगढ़ में उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई है।

खण्ड 3. जी नहीं। यह सही नहीं है कि जिला अलवर मुख्यालय पर कार्यरत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 3 सिर्फ थाना रामगढ़ के ही मुकदमों की सुनवाई करता है, अपितु यह न्यायालय थाना मालाखेड़ा के मुकदमों एवं अन्य न्यायालयों से अन्तरित होकर प्राप्त होने वाले मुकदमों की भी सुनवाई करता है।

खण्ड 4. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(क,ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 अलवर को रामगढ़ स्थानान्तरित करने का मामला इस समय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा रामगढ़ क्षेत्र के लंबित प्रकरणों की संख्या निर्धारित मानदण्ड के अनुसार होने पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विचार करना सम्भव हो सकेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बात कही है कि मालाखेडा और रामगढ़, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी, यह दो न्यायालय है, सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड प्रथम वर्ग, नम्बर दो और नम्बर तीन। नम्बर दो में सिर्फ रामगढ़ थाने के ही मुकदमों की सुनवाई होती है जिसके माननीय जज भानुप्रकाश जी मीणा है और मालाखेडा की जिस न्यायालय में सुनवाई होती है उसके परविन्दरपाल जी वहां के मजिस्ट्रेट है, तो यह कथन आपका ठीक नहीं है कि जिस न्यायालय में रामगढ के थानों के कैसेज की सुनवाई होती है उसी में मालाखेड़ा की भी होती है। यह सच्चाई नहीं है, आप अपने सूत्रों से पता कर लीजिए।

दूसरा आपने स्वंय ने माना कि रामगढ सब डिविजन ही मात्र अलवर में, जहां की मुंशी मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यरत नहीं है। स्टेट टाइम में रामगए मुंशी मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यरत था, आजादी से पहले, उसके बाद में बिल्डिंग उसकी बनी हुई है1 नीचे अदालत है ऊपर उसका रेजीडेंस है। फिर भी भवन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम एमएलए लैड, एमपी लैड से कहीं से बनायेंगे1 आज रामगढ़ के लोगों में, वहां एसडीएम है, वकील वहां, एसडीएम कार्यालय के लिए,वहां जाते हैं, मुंशी मजिस्ट्रेट के लिए अलवर जाते हैं उसके लिएभारी दिक्कत होती है1 अगर आप चाहे तो रामगढ़ तहसील का दूसरा थाना एमआईए भी है अगर संख्या कम है तो एमआईए में लगा सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2005 में 324 मुकदमें रामगढ के, 2006 मे 330, 2007 में 385, संख्या बढ़ रही है। जब हर साल लगभग 350 मुकदमें दर्ज हो रहे हैं तो दो-चार-पाँच साल में तो फैसला होता नहीं है, तो लंबित प्रकरण भी काफी संख्या में होंगे1 मेरा आपसे निवेदन है कि बाकी थानों के अलावा रामगढ़ में ज्यादा मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। उसका खास कारण यह है कि यह हरियाणा से सटा हुआ थाना लगता है। जिस तरह के क्राइम चाहे गोकसी के क्राइम हो चाहे वह गो तस्करी के हो, चोरी के मामले हो, जो हरियाणा की सीमा के माध्यम से जाते हैं इसके

अधीन में 3-3 चौकियां बनी हुई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जयपुर को, आप लिखिये तो सही, आप प्रयास तो करिये, आपको तो खाली स्थानान्तरण करना है1इसको करवाइये ताकि वहां के वकीलों ने हड़ताल कर रखी है, आंदोलन हो रहा है, वह समाप्त हो और आप यहां इस सदन में ऐसी कोई घोषणा करें कि रामगढ़ के लोगों को सस्ता , सुलभ और नजदीकी न्याय मिल सकें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है कि रामगढ़ में सिविल न्यायालय स्थानान्तरण हो जाए इसके लिए हमने उच्च न्यायालय को लिखकर भेजा लेकिन उच्च न्यायालय में इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई1 राज्य सरकार का काम भवन,साधन उपलब्ध कराना है अब इसमें अतिरिक्त खर्चा भी नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग से मजिस्ट्रेट नियुक्त है, भवन वहां बना हुआ है, सारा काम है1 एक बार पुन: मैं आपने जो बातें कही उन सब बातों को देखकर, मुकदमों की संख्या को देखकर, आपने जो परिस्थितियां बताई उनको देखकर राज्य सरकार की और से उच्च न्यायालय को वहां पर स्थानान्तरण करने के लिए लिखेंगे। हम केवल लिख ही सकते हैं यह सारा वहां की स्वीकृति के बाद ही हम न्यायालय को स्थानान्तरण कर सकते हैं। राज्य सरकार एक बार पुन: वहां लिख देगी ताकि वहां के क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान हो सके।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री जी जितना जल्दी सम्भव हो सके आप जल्दी ही माननीय उच्च न्यायालय को लिखियेगा ताकि इसमें कोई जल्दी कार्यवाही हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जल्दी हो नहीं सके, जो आपकी क्षमता है एक हफ्ते के अंदर लिखवाकर भिजवा दीजिए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मालूम करना चाहूंगा कि मापदण्ड का अभी आपने जिक्र किया है, मैंने भी अपने तिजारा के लिए अप्रैल 2006 एक सवाल लगाया था अब डेढ साल से ज्यादा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: तिजारा का अलग से...

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा):अब मापदण्ड का सिस्टम इतना डिलेट हुआ हुआ है तो यह मापदण्ड किस तरह से होगा, परामर्श किस तरह से होगा, हाईकोर्ट से । एक मैं इसके साथ साथ मंत्री जी जवाब दें मैं इनका आभारी होऊंगा कि तिजारा अलवर में एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट को चालान आदि लेने का अधिकार दिया गया है चालान आदि अधिकार नहीं है तो चालान आदि के, किशनगढ बांस में पेश किये जाते हैं तो यह क्यों इतना इसमें डिस्क्रिपेंसी है, अगर आप जवाब दे मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे लिखकर दिया था तिजारा कोर्ट और उसके बारे में, मैं आपको निवेदन कर दूं कि माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के विचार विमर्श के बाद जो निर्देश प्राप्त हुये उसके अन्तर्गत डीजे, एडीजे न्यायालय हेतु 1000 से 1200 प्रकरण लंबित होने आवश्यक है,सीजेएम और एसीजेएम न्यायालय हेतु 1200 से 1500 प्रकरण लंबित हो तब ऐसा होता है। सिविल न्यायाधीश,अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क, ख एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु 1700 से 2000 लंबित प्रकरण होते हैं तो राज्य सरकार भी प्रपोजल बनाकर भेजती है और न्यायालय का सूओमोटो भी हमारे पास आता है। राज्य सरकार का काम उसके लिए भवन, उसके लिए पद आदि की व्यवस्था करने का होता है। आपने जो सारा मामला बताया उसके हिसाब से हमने बनाकर भेजा था । एक बार पुन: हम, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जो भी प्रकरण जिस प्रकार से न्यायालय कहता है उस प्रकार से करते हैं तो जितने भी प्रकरणहमारे पास आये हुए हैं उन सबकी समीक्षा कराकर माननीय उच्च न्यायालय के पास भेजते रहते हैं। आपका प्रकरण भी आपने मुझे दिया था उस समय प्रेषित किया था दूबारा इसकी सारी बात करके इसको भिजवा दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होगा उस हिसाब से राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।

प्रश्न संख्या 155

श्री उपाध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखे)

श्री नवनीत नीनामा ।

अम्बेडकर छात्रावासों में स्थाई अधीक्षकों का पदस्थापन

-श्री नवनीत नीनामा

156. श्री नवनीत नीनामा (घाटौल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. राज्य में कुल कितने अम्बेडकर छात्रावास हैं? जिला व पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

2.क्या सरकार द्वारा जिला डूंगरपूर व बांसवाड़ा में उक्त छात्रावास चलाये जाते हैं ? यदि हां, तो छात्रावासों में छात्रावासवार छात्र संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

3. क्या यह सही है कि चलाये जा रहे छात्रावासों में निगरानी हेतु वार्डन (छात्रावास अधीक्षक) प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकारउन्हें स्थाई रूप से नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): खण्ड1. राज्य में विभाग द्वारा 602 राजकीय एवं 91 अनुदानित कुल 693 छात्रावास हैं1 जिला व पंचायत समिति वार सूची परिशिष्ट अ सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. जी हां। सरकार द्वारा जिला डूंगरपूर एवं बांसवाडा में उक्त छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनकी छात्रावास वार छात्र संख्या का विवरण परिशिष्ट ब सदन की मेज पर रख दिया गया है।

3. वर्तमान में छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त होने के कारण छात्रावास के संचालन हेतु अधीक्षक के रूप में अन्य सेवाओं के कर्मचारियों एवं सेवा निवृत राज्य कर्मचारियों को लगाने की व्यवस्था है। अन्य सेवाओं/विभागों के कार्मिकों को एवं सेवानिवृत कार्मिकों को स्थायी किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हें स्थायी किया जाना सम्भव नहीं है।

1110/दुर्गा 040308/1बी

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से उत्तर चाहता हूं कि क्या यह छात्रावास स्थाई है या अस्थाई है, नम्बर-एक। नम्बर-दो, अन्य विभागों से ही छात्रावास वार्डन लेकर के काम चलाने की जो योजना है, कब तक चलती रहेगी। नम्बर-तीन, क्या देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार हरिजन, आदिवासी व गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिये यह छात्रावास खोले गये थे। यदि हां, तो इस ओर अभी सरकार व माननीय मंत्रीजी क्या करने जा रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, आपने महात्मा गांधी के लिये कहा। इनका तो गांधीजी में विश्वास ही नहीं है। आपने माननीय सदस्य, गलत सवाल उद्धृत किया मंत्री महोदय से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विश्वास आपसे ज्यादा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कई ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं कि शर्म आती है। इनको देखने में ही शर्म आती है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मुंह ढक लो।

श्री उपाध्यक्ष: विश्वास आपसे ज्यादा है इनका। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...आप तो समर्थक हैं ना। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): [000]

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। यह अंकित नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आने दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप, क्यों बातें कर रहे हैं इनसे। (व्यवधान) आप उधर क्यों देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराज जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावास स्थाई हैं। मैंने पहले ही कहा है कि 602 छात्रावास हमारे यहां हैं और...। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: 000

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): [000]

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) मंत्री महोदय का जवाब सुनिये आप।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्रावास स्थाई हैं और सब छात्रावासों में स्थाई छात्रावास अधीक्षक होने चाहिए। अभी हमारे पास 602 के विरुद्ध 287 नियमित छात्रावास अधीक्षक हैं और शेष छात्रावास अधीक्षकों के लिये, यानि 315 छात्रावास अधीक्षकों के लिये हमने आर.पी.एस.सी. को भर्ती करने के लिये भेज दिया है। (व्यवधान) छात्रावास अधीक्षकों हेतु अप्रैल माह में परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा के बाद जो चयनित होकर के छात्रावास अधीक्षक आएंगे तो लगभग सारे छात्रावासों में हमारे नियमित छात्रावास अधीक्षक हो जाएंगे। इसलिये माननीय नवनीत नीनामा का जो प्रश्न था, जो वेदना थी, वह दूर हो जाएगी। उससे सभी बच्चों की ठीक प्रकार से सार-सम्भाल हो पाएगी।

जहां तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहा, यह सच है कि महात्मा गांधी तो गरीबों का उद्धार चाहते थे और इसलिये उन्होंने सब कुछ किया है। मेरे विश्वास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं महात्मा गांधीजी में पूरा विश्वास रखता हूं और महात्मा गांधीजी ने यह कहा था कि यदि मेरे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा...(व्यवधान) मेरे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा..।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। बीच में, माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप जेल भिजवा देना। (व्यवधान) महात्मा गांधीजी में पूरा विश्वास रखता हूं। (व्यवधान) महात्मा गांधीजी ने तो कहा था कि मेरे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा तो सबसे पहले गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाऊंगा। लेकिन उनकी सरकार आ गई, गांधीजी के बंधों ने गांधीजी की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा, सबसे पहले धर्मान्तरण पर कानून बनाऊंगा। गांधीजी के बंधों ने धर्मान्तरण के कानून का विरोध किया और महामहिम राज्यपाल के दस्तख्त नहीं होने दिये। धर्मान्तरण विरोधी, यानि धर्म-स्वातंत्र्य कानून था, वह पेंडिंग पडा हुआ है। (व्यवधान) गांधीजी ने कहा देश आजाद हो गया, अब कांग्रेस को समाप्त कर दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): गांधीजी ने कहा था शराब-बंदी होनी चाहिए। गांधीजी के बंधों ने उनकी बात नहीं मानी। मैं तो पूरा आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। (व्यवधान) महात्मा गांधीजी हमारे लिये पूजनीय हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): [000]

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): 000

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन का समय जाया कर रहे हैं। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, यह माहिरजी आजाद ने पहले इनको उत्तेजित किया किये महात्मा गांधी में विश्वास नहीं रखते हैं। बाकी उसके बाद में इन्होंने कह दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने चलाकर यह कहा, यह विश्वास नहीं रखते हैं। यह गलती, शुरूआत इन्होंने कर दी ना बिना मतलब के। अब छोड़िये इसको अब। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, है विश्वास। उन्होंने कहा, उनका विश्वास है। खत्म हो गई बात। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): [000]

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 000

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वश्चन, श्री नवरतन राजोरिया। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): 000

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी ने जो आइन्दा से, अप्रैल माह तक व्यवस्था की जो घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यह छात्रावास अधीक्षक स्थाई लगेंगे या डेपुटेशन पर। (व्यवधान)

Vps-usc-04.03.2008-11.20-1c

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): स्थाई नियुक्ति होगी। इनकी स्थाई नियुक्ति होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थाई नियुक्ति होगी। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वैरी गुड।

<u>प्रश्न संख्या-157</u>

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

(अनुपस्थित: कृपया, आगे देखें।)

<u>प्रश्न संख्या-158</u>

श्री नवरतन राजोरिया

(अनुपस्थित: कृपया, आगे देखें।)

श्री निर्भय लाल।

अनुसूचित जाति/ जनजाति के उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन के नियमों में संशोधन

-श्री निर्भय लाल (रूपवास)

159. श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों में वर्ष 2002 से पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आवंटन के क्या प्रावधान थे तथा वर्तमान में क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों की नीति में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आवंटन के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आवंटन का प्रावधान पुन: लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उद्योग मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह): (1) रीको द्वारा स्थापित/ विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन पर देय छूट के प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है। वर्ष 2004 में किये गये संशोधन के

अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर भूमि आवंटन दर में 50 प्रतिशत छूट देय थी। आवंटी द्वारा आवंटन के समय भूखण्ड की पूरी राशि जमा कराना वांछित था तथा छूट की राशि भूखण्ड पर उद्यमी द्वारा 20 प्रतिशत (छत सहित) निर्माण कार्य करने के उपरान्त लौटा दी जाती थी। वर्ष 2007 में किये गये संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि उक्त छूट भूमि आवंटन के समय ही दी जाएगी।

(2) वर्ष 2004 से पूर्व आवंटन दर में देय छूट भूमि आवंटन के समय ही आवंटी को दे दी जाती थी। वर्ष 2004 में यह प्रावधान किया गया था कि उक्त छूट आवंटी द्वारा भूखण्ड पर 20 प्रतिशत (छत सहित) निर्माण करने के उपरान्त ही दी जाएगी। पूर्व प्रावधानों में उक्तानुसार संशोधन इस दृष्टि से किया गया था कि अनुसूचित जाति व जनजाति के वास्तविक उद्यमी ही वर्णित छूट से लाभान्वित हो।

मई, 2007 में उक्त प्रावधान में परिवर्तन कर आवंटन दर में छूट आवंटन के समय ही दिये जाने का प्रावधान किया गया ताकि प्रस्तावित उद्योग हेतु पूंजी की व्यवस्था में कठिनाई नहीं हो। आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान वर्तमान में प्रभावशील है, जिसके अनुसार इन श्रेणी के उद्यमियों को संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित विकास शुल्क की दर पर 50 प्रतिशत छूट भूमि आवंटन के समय पर ही दी जा रही है।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): माननीय मंत्रीजी, मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं कि 2000 में पूछा था, मैंने 2000 से 2004 तक क्या प्रावधान थे? फिर आपने 2004 में ही इसमें संशोधन कर दिया। फिर आपने 2007 में फिर संशोधन कर दिया तो क्या कारण थे ऐसे? तीन साल में कितना नुकसान हुआ हैं इन एस.सी., एस.टी. के लोगों का? यह ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब दें।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 2004 और 7 में ही परिवर्तन नहीं हुए हैं। सन 1980, अगस्त में, सुन लेना माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): हां, सुन रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अगस्त, 1980 में यह प्रावधान किया गया कि संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित विकास शुल्क की दर में भूमि आवंटन के समय ही 50 परसेंट की रियायत देय होगी। संबंधित आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट- 1.1 पर संलग्न है। इसके बाद 1 साल बाद ही, मार्च, 1981 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मार्च, 1981 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह रियायत अधिकतम चार हजार वर्ग मीटर के भूखण्ड पर ही देय होगी। संबंधित आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1.2 पर उपलब्ध है। उसके बाद फिर अगस्त 1982 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह रियायत अधिकत 2 हजार वर्ग मीटर के भूखण्ड पर ही देय होगी। संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1.3, 1.4 पर उपलब्ध है। फिर अगस्त, 1983 में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि 4 में

किया, 7 में किया, यह सन 1980 से आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। हमने तो 50 परसेंट की छूट दी है, आप मेरी बात सुनिये ... (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): नहीं, यह खिलवाड़ ... (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, यह खिलवाड़ तो हमने आज देखी है, हमको उस टाइम, हम कोई एम.एल.ए. नहीं थे, कोई एम.पी. नहीं थे। हम तो आज वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपको चाहिए ... (व्यवधान) आप सुनें। उस समय आप ... (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): जो आपने क्या किया इन लोगों के साथ में, आप ... (व्यवधान) आप लोगों ने तीन साल में इतना नुकसान किया है एस.सी., एस.टी. के साथ में जैसा कोई ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस समय ... (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): जैसा कोई किसी ने किया नहीं। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय आपको कोई ज्ञान नहीं था और उस समय मुख्य मंत्री भी ... (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): ज्ञान नहीं था तो ... (व्यवधान) और जब हमको ज्ञान हुआ तब पता लगा कि आप एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उस समय मुख्य मंत्री भी एस.सी. के थे महाराज ... (व्यवधान),

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप एम.एल.ए. कब बने थे? पहली बात यह बतायें कि ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उस समय मुख्य मंत्री भी एस.सी. के थे। उस टाइम यह परिवर्तन हुआ है। हमने तो 50 परसेंट की रियायत दी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जब आपकी सरकार कर रही थी गड़बड़, तब ध्यान नहीं आया आपको। जब आपकी सरकार कर रही थी, उस टाइम ध्यान नहीं आया ... (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): 2007 में, 2002 से 2004 में आपने यह संशोधन किया। 2004 से 2007 में फिर संशोधन किया। आप सारे ... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 1980, 81, 83 में राजस्थान में किसकी सरकार थी?

श्री निर्भय लाल (रूपवास): शिड्यूल्ड कॉस्ट को राजस्थान में कितना नुकसान हुआ है? आप लोगों ने ... (व्यवधान) आप लोग उसके जिम्मेदार थे। ... (व्यवधान) यह समाज का भला नहीं चाहते।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 1980, 81, 83 में कौन थे? सबसे पहले उन्होंने बदमाशी करी। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल (सवाईमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति जब से सरकार ने लागू की है। इस सरकार ने जब से नीति लागू की है तब से अब तक ऐसे कितने भूखण्ड आवंटित किये गये? उसमें से एस.सी., एस.टी. को कितने भूखण्ड अलॉट हुए? क्या ऐसा रिकार्ड मंत्रीजी के पास है और कितनों को कब्जा मिल चुका और कब्जा नहीं मिला तो उसका कारण क्या है?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय तो यह रिकार्ड मेरे पास उपलब्ध नहीं होगा पर मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को यह पूरी सूचना उपलब्ध करा दूंगा कि एस.सी., एस.टी. के लिए कितने आवंटित हुए और कितनों पर यह निर्माण कार्य हुआ और काम शुरू हुआ, यह पूरी सूचना आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): माननीय मंत्रीजी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हां, पूछो।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): आज ऐसे कितने उद्योग हैं जो एस.सी., एस.टी. के लोगों के, वह चालू है उद्योग और कितने डम्प पड़े हुए हैं, यही पूछना चाहते हैं हम आपसे ... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (सवाईमाधोपुर): वही बात हुई।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैंने अभी सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य की ... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (सवाईमाधोपुर): उसका अर्थ यही है।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अब कितने चालू हैं, यह बतायें आप। यह भी तो आपके पास होना चाहिए। तैयारी नहीं है आपकी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तैयारी की नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): नहीं, हमारे पास है। तैयारी सब है। नहीं, हमारे पास सब है।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): नहीं सुनिये आप, आप महत्वपूर्ण नहीं ले रहे हैं इस मुद्दे को क्योंकि यह एस.सी., एस.टी. का मामला है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हमारे पास सब है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बताइये आप।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इस समय, इस साल 6 एस.सी. के हमारी इकाइयां, मैं आपको एक निवेदन करूं, जो आवंटित हुई हैं, 6 है अभी ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस साल में ही, इस साल में ही ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इस साल में, इस साल का ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, मंत्रीजी होम वर्क करके तो आये नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न नहीं था। ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जब एस.सी., एस.टी. से रिलेटेड प्रश्न था, जब एस.सी., एस.टी. से रिलेटेड प्रश्न है यह, इनके पास जानकारी होना लाजिमी है कि कितने ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न में ... (व्यवधान) यह प्रश्न में ऐसा आया हुआ नहीं था। ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इनके पास यह जानकारी होना लाजमी है कि कितने भूखण्ड आवंटित किये गये। कितनों के ऊपर उद्योग चल रहे हैं एस.सी., एस.टी. के, इनके पास कोई, होम वर्क करके आये नहीं हैं यह यहां पर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न में पूछा नहीं गया है, माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से भूखण्ड आवंटित हुए हैं, उस समय से आज तक एस.सी., एस.टी. को कितने उपलब्ध हुए और कितने इनको आवंटित हुए इसकी सूचना मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न में है नहीं। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): क्योंकि यह प्रश्न में था नहीं परन्तु मैं आपको यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य की शंका थी कि 2004 में यह संशोधन क्यों किया गया और उसके बाद 2007 में फिर संशोधन कर दिया, बीच के इसमें, हमारे एस.सी., एस.टी. के लोगों को नुकसान हुआ तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इसमें निश्चित रूप से एक बार नहीं कई बार परिवर्तन हुए हैं और एक-एक साल का मैंने आपको ब्योरा दिया है और जो मेरे पास जो अभी आकड़े उपलब्ध हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2002-03 में टार्गेट था 50 का एस.सी., एस.टी. का एण्टरप्रिन्योर्स का और हमारे एचीवमैंट था 154, 2003-04 में 50 टार्गेट था, एचीवमैंट था 180, 2004-05 में 60 था टार्गेट, एचीवमैंट था 39, 2005-06 में 41 था, 32, 2006-07 में 41 था-28, 2007-08 में 10 में से 6 को अलॉटमैंट हो चुका है। यह आकड़े अब तक के आकड़े हैं। ... (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): माननीय मंत्रीजी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने चालू हैं, कितने उद्योग चालू हैं, यह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह अलग से प्रश्न है। ... (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): अलग प्रश्न नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह अलग है।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): आप कोई मंत्री नहीं हैं। आप तो +++ हो इनके। ... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की अवमानना है और यह जो शब्द प्रयोग किया गया है इसको डिलीट किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: हां, यह अंकित नहीं होगा, यह। ... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक्सपंज किया जाए इसको। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या तरीका है यह?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आधे से ज्यादा तो अलग-थलग बैठे हैं यह। आधे से ज्यादा +++ हैं। ... (व्यवधान)

spp/usc/4.3.2008/11.30/1d

यह क्या तरीका है? आधे से ज्यादा +++ हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई ओकेजन नहीं था कहने का।.. (व्यवधान)...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): +++ हैं विदेशियों के। ..(व्यवधान).. विदेशियों के +++ हो आप। हम केवल भारतीयों के तो हैं। . (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: +++ का भण्डार है यहां तो। . (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: +++ आप विदेशियों के हो, अपनी मां से पूछो न, अम्मा से। . (व्यवधान)..

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप गहलोत के, किसके +++ हो आप? . (व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पूछो कि सोनिया के +++ हो या किनके +++ हो? . (व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: अब आगे कुछ नहीं। मर्जी आये जो कह रहे हैं, कुछ अंकित नहीं हो।

श्री रामप्रताप कासनिया: उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ज्यादा गर्मी है, ए.सी.इतना लो मत चलाओ, थोड़ी कृपा करके ठीक करवा दो। कई बीमार हो रहे हैं। माननीय सदस्यों को बुखार हो रहा है। . (व्यवधान)..

श्री नरपतसिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मुझे खेद है कि पूर्व उद्योग मंत्रीजी ने पूछा है । सबसे कम आपके काल खण्ड में हुआ है अलॉटमेंट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि आपने 2000-03 के अंदर एक नीति चली आ रही थी कि आप 50 प्रतिशत पैसा शुरू में ही आप छूट का दे देंगे, फिर आपने 2003-04 में संशोधन किया, फिर 2007 के अंदर आप फिर उसी लाइन पर आये। हमने 1980-83 के बीच में किया। मैं स्वयं राज्य मंत्री, उद्योग था उस वक्त। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि एक नीति चली आ रही थी उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

+++ : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

पूर्व में हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। अगर आप यह प्ली लेते हैं कि पूर्व में हुआ वह गलत था तो फिर आपने क्यों गलती की? सवाल तो यह पैदा होता है कि आपने क्यों गलती की? आप उद्योग मंत्री थे और आपकी जिम्मेदारी थी।

श्री नरपतसिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहले अलॉटमेंट पर 50 प्रतिशत की रिबेट नहीं मिलती थी आपके समय में, हमने अलॉटमेंट के समय में देना शुरू किया है। . (व्यवधान).. आप असत्य बातें कर रहे हैं। . (व्यवधान)..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप पढ़ो न। आप जवाब पढ़ो। . (व्यवधान)..

श्री नरपतसिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पढ़ लिया मैंने। . (व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके समय का तो आपको पता है। . (व्यवधान)..

डॉ0 दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कई उद्यमी छूट लेने तक का काम करते थे और छूट लेने के बाद अपना न कंस्ट्रक्शन शुरू करते थे, न उद्योग को शुरू करते थे। इस पर पाबन्दी लगाने के लिए यह एक चेंज किया था। कोई कदम उठाना भी जरूरी था कि उद्योग के नाम से कोई प्लाट अलॉट कराये और अपना. (व्यवधान).. माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, 2007 में यह परिवर्तन किया और पहले तो इनको रिफण्ड का सिस्टम था, हमने तो इनको शुरू में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान 2007 में किया और यह जो परिवर्तन की बात आप कर रहे हो, यह 2004-07 में नहीं हुआ। मैंने आपको इतनी बार बताया है और सन् 2000 में भी आपने परिवर्तन किया है। दिसम्बर, 2000 में संशोधन किया है, यह प्रावधान किया गया कि उक्त छूट दो हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर देय होगी। पहले चार हजार, कभी दो हजार, कभी चार हजार और फिर कभी दो हजार, यह सन् 80 से लेकर 2000 तक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह प्रावधान आपने बदले हैं। इसकी जिम्मेदारी तो तत्कालीन सरकार की है, इसका जवाब तो तत्कालीन सरकार ही दे सकती है। बाकी हमने तो एस.सी., एस.टी. के हित में . (व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। माननीय डॉ0 बुलाकीदास कल्ला।

डॉ0 दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): 50 प्रतिशत की छूट आज भी कर रखी है और वह प्रभावी है आज की तारीख में।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ0 बुलाकी दास जी कल्ला। . (व्यवधान).. निर्भय लाल जी आ गया।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक बात और पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी एक बात और बतायें मुझे इसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है क्या? एस.सी., एस.टी.के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है क्या? अगर है तो कितना प्रतिशत है, यह भी बतायेंगे।

डॉ0 दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इसका ईयरली टार्गेट है। उस टार्गेट के हिसाब से एस.सी.,एस.टी. को हम अलॉटमेंट करे हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है? क्या इनके लिए कोई प्रावधान रखना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सवाल यह पैदा होता है कि आपके टोटल अलॉटमेंट कितने हुए? आपने टोटल अलॉटमेंट कितने किये, उसमें से आपने कितने प्रतिशत एस.सी.,एस.टी. के लिए रिजर्व किया, यह बताये फिर आप।

श्री उपाध्यक्ष: यह स्पेसिफिक प्रश्न है। वह समझ गये सब। . (व्यवधान)..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा पर्टिनेट सवाल है। टोटल अलॉटमेंट आपने किये और जो टोटल अलॉटमेंट आपने किये उस टोटल अलॉटमेंट में कितना प्रतिशत उनको दिया? आपने जो टार्गेट फिक्स किये, इसका आधार क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न स्पेसिफिक रूप में आना चाहिये। डॉ0 बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री निर्भय लाल (रूपवास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कम से कम हमको यह ज्ञान तो हो कि आपने मान लीजिए . (व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): टार्गेट क्या होते हैं, उद्योग हरेक के लगाने के बस की है क्या? पहाड़िया जी ने सबको ट्रक दिलवा दिये, आज तक सब रो रहे हैं। . (व्यवधान).. कांग्रेस ने बरबाद कर दिया एस.सी., एस.टी. को. (व्यवधान)..

श्री निर्भय लाल (रूपवास): आप प्रावधान रखना चाहते हैं क्या? यह और बतायें। आपकी सरकार की मंशा है क्या एस.सी.,एस.टी. के लोगों को रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखती है क्या भूखण्डों में?

डॉ0 दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्थान के इतिहास में इस तरह के रिजर्वेशन का प्रावधान किसी सरकार के समय में नहीं रहा। हमारे भी ईयरली टार्गेट्स हैं एस.सी;एस.टी. के लिए और इन टार्गेट्स को हम निश्चित रूप से फुलफील करने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डॉ0 बुलाकीदास कल्ला।

बीकानेर शहर में चोरी की घटनाओं पर रोक हेतु पुलिस बल में वृद्धि

-डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

160 डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में बीकानेर शहर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो वर्ष 2006 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक बीकानेर शहर के विभिन्न थानों में चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किए गए? चुराये गये माल की कीमत क्या थी तथा कितनी चोरियां पकड़ी गई? भविष्य में उक्त घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या में कमी है? यदि हां, तो वर्तमान में कितने पुलिसकर्मी बीकानेर शहर में कार्यरत हैं तथा कितने पुलिसकर्मियों की और आवश्यकता है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): (1) जी नहीं। जिला बीकानेर शहर के विभिन्न थानों में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 (31.1.2008) में चोरी/नकबजनी के क्रमश: 280 एवं 184 अभियोग दर्ज हुए हैं। उक्त वर्षों में चोरी गये माल की कीमत क्रमश एक करोड़ 4 हजार 51 रुपये एवं 75,35,773 रुपये है। उक्त में से वर्ष 2006-07 में 92 अभियोगों में 67,33,250 रुपये एवं 31 अभियोगों में 2007-08 में 35,92,000/- रुपये की सम्पत्ति बरामद की गई है।

भविष्य में चोरी की घटनाओं को रोकने केलिए निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं:-

1. शहर में निरन्तर रात्रि गश्त कराई जा रही है।
2. शहर में रात्रि नाकाबंदी कराई जा रही है।
3. शहर के हार्डकोर व शातिर आदतन नकबजनों को पकड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
4. शहर के पूर्व में चोरी के प्रकरणों के अभियुक्तों से पूछताछ एवं उनकी नियमित चैकिंग की जा रही है।
5. इलाके का बीटवाईज बीट प्रभारियों द्वारा निगरानी कराई जा रही है।

(2) जी हां। वर्तमान में स्वीकृति पुलिसकर्मियों की नफरी 348 है, किन्तु 262 पुलिसकर्मी ही कार्यरत हैं तथा 86 पुलिसकर्मियों की कमी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो बताया एक करोड़ चालीस हजार की जगह एक करोड़ चार लाख है, एक तो यह सही करें। दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि बीकानेर में गत दो वर्षों में लगभग एक करोड़ 79 लाख से ऊपर की चोरियां हुईं। इसमें कितना माल आपने लोगों को सुपुर्द कर दिया? दूसरी बात यह है कि पुलिस को ऐसी शिकायत मिली जिसमें कई थानों के पुलिसकर्मियों के इन्वॉल्वमेंट की कोई शिकायत आई और आई तो आपने क्या किया? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों को वहां से बदलने का विचार रखते हैं? दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि बीकानेर शहर में जो पुलिसकर्मियों की आपने कमी बताई है, उसमें जनसंख्या कौनसे साल की ली गई है? आप 86 पुलिसकर्मियों की कमी बता रहे हैं, उनको कब तक भर लेंगे? . (व्यवधान)..प्रश्न ही कर रहा हूं मैं। आप गाइड मत करो आसन को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिक्त पदों का सवाल है, यद्यपि जो हमारे 7 थाने हैं उसमें महिला पुलिस थाना भी है और 21 चौकियां हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ हमने दे रखी है और उसमें आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या मैंने आपको बताई है। इसके अतिरिक्त भी हमने बीकानेर शहर के लिए यह जो मोबाइल यूनिट है, वह हमने लगाई है। उस मोबाइल यूनिट में एस.आई. हमने 8 लगा रखे हैं, जो उस

स्ट्रेंथ से अलग है। थानों का जैसा आपने मांगा था, वैसा ही मैंने आपको जवाब दिया। इसी तरह ए.एस.आई. भी 8 लगे हुए हैं और 67 कांस्टेबल, यह एक्स्ट्रा है इनके अतिरिक्त। इनमें से कुछ संख्या ऐसी है जो थाने में भी उस गश्त में जाते हैं तो 54 लोग यह अतिरिक्त हैं। जो मैंने आपको 86 की कमी बताई थी, उसमें से 54 लोग हमने एक्सट्रा लगाकर यह जो रात की गश्त और बाकी 24 घण्टे की, वह हमने 10 मोटर साइकिलों पर तीन राउंड चौबीसों घण्टे और दो व्हिकल लग रखे हैं, जो बराबर इस काम को देख रहे हैं तो यह तो संख्या के हिसाब से कमी है। जहां तक अभी ऐसा कहीं मापदण्ड नहीं है कि इतने लाख पर इतनी पुलिस होगी, जो हमने स्ट्रेंथ दे रखी है वह मैंने आपको बताया है।

Msr/usc/04032008/1140/1e/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं/1.

उसमें कमी और ज्यादा, राजस्थान में ऐसे कोई मापदण्ड तय नहीं किये हैं कि इतनी आबादी पर इतनी पुलिस होगी। इतना अब तक कोई ऐसा नहीं बना। वह ठीक है कि होना चाहिए, वह एक अलग बात है लेकिन अभी तक ऐसे कोई मापदण्ड निश्चित नहीं हैं।

जहां तक रहा सवाल, मैं सोचता हूं कि आपको इसके बारे में खुशी होनी चाहिए कि यह जो वर्ष 2007-08 है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था क्योंकि कुछ घटनाएं आपके यहां लगातार हुई थीं और एक ऐसी जन भावना बनी थी कि लगातार चोरियां हो रही हैं और बरामदगी नहीं हो रही है तो एक असंतोष का जो वातावरण बना था उसके आधार पर पूछा लेकिन हकीकत को अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो मैं सोचता हूं 2007 का वर्ष ऐसा है जिसमें सब से कम चोरियां दर्ज हुई हैं, 320 सारे जिले में, उसमें आपका शहर भी सम्मिलित है। वैसे तो मैंने आपको शहर का अलग से आंकड़ा दिया है, शहर के लिए जो चोरियां हुई हैं उसके हिसाब से चोरियां 185 थी 2006 और 07 में और नकबजनी 295, 280 जो मैंने आपको आंकड़ा बताया उसका है। उसकी भी बरामदगी किस साल में कितनी हुई, वो भी मैंने आपको सामने दी है। इसी तरह से 2007 और 08 में 122 चोरियां दर्ज हुई और नकबजनी 62 हुई जो 2006 से तुलना में कम ही नहीं हैं अगर आप पुराने आंकड़ों को टटोलोगे तो 2007 का वर्ष ऐसा है जिसमें 320 चोरियां दर्ज हुई पूरे जिले में भी जो पिछले दस वर्ष में सब से कम चोरियां अगर किसी वर्ष में दर्ज हुई हैं तो वो 2007 में हुई हैं। इसी तरह से नकबजनी भी पिछले दस वर्षों में दो साल ऐसे हैं बीच के, एक तो 2002 में 122 हुई और 2007 में 124 हुई बाकी वो भी सब से कम है। इसी तरह से बरामदगी का परसेंटेज बाकी सारे के सारे हैं।

आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यह जो जन भावना बनी और जिसके कारण से बीकानेर शहर पिछले कुछ साल में चोरियों की लगातार चपेट में एक के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे जन मानस बना लेकिन अभी आपने देखा होगा कि दो फरवरी के दिन हमने एक वाहन चोर, राजु सोनी को गिरफ्तार किया है, 58 वाहन की रिकवरी एक साथ ही, उसमें 51 वाहन हमने प्राप्त कर लिये, 58 चोरियां उसने कीं वो सारी कबूल की। यह है। इसी तरह से 8 फरवरी के दिन ही हमने तीन हार्ड कोर क्रीमिनल को, जो मैंने कहा था, जो हमने

अभियान चलाया था उसमें पकड़ा, उसमें दो दर्जन नकबजनी उससे खुली है और इसी तरह से एक और नकबजन को पकड़ा है उससे और कई जिलों की भी तीन दर्जन चोरियां उससे बरामद हुई हैं। अभी यह जो 17.02 है इसमें जोधपुर का एक वाहन चोर अर्जुन पटेल इंडीगो लेकर चोरी कर के जा रहा था, उसको जो हमारे नाके लगे हुए थे, उसको पकड़ा। इस गिरोह से एक दर्जन फोर व्हीलर हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।

आप चाहें तो मैं वर्ष वार, 2006 से लेकर 2008 में जो संगीन चोरियां पकड़ी गयीं और बरामदगी की है उसको संतोषप्रद कहा जा सकता है। यह कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं पर मैंने दस साल के आंकड़े निकाल कर सारा का सारा टैबल बनाया है, इसमें भी आप यह देखेंगे कि नकबजनी में हमारा चालानी, बरामदकी परसेंटेज है वो लगातार बढ़ा ह 55 है, उसके बाद 66 परसेंट है इस 2007 में रिकवरी परसेंटेज। तो रिकवरी परसेंटेज बढ़ा है, इसको भी हमने ध्यान में रखा है, चालानी परसेंटेज हमारा बढ़े, यह 2007 का चालानी परसेंटेज 45 है नकबजनी में जो अब तक का केवल एक 2002 का 49 परसेंट था बाकी दस साल में जो हमारा नकबजनी का चालानी परसेंटेज है वह भी 45, हाईएस्ट है।

तो इस बात की कोशिश की है, यह बात जरूर है कि क्योंकि जिस की चोरी होती है उसको दर्द होता है और उसमें वह चाहता है कि उसकी रिकवरी हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गृह मंत्रीजी, यह चोरी और नकबजनी में क्या फर्क है, जरा यह तो प्रकाड़ा थोड़ा डाल दो क्योंकि हमने तो वकालत की नहीं। चोरी और नकबजनी में क्या फर्क है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप भी जानते हो, साधारणत: मोबाइल भी अगर जाता है तो चोरी में दर्ज हो जाता है नकबजनी में कोई गिरोह बन कर जाता है और कहीं मकान को पीछे से भेद कर के और उसमें से चोरी कर लेता है तो वो नकबजनी हो गयी। अब इतना तो आप भी जानते हो। ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जैसे राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ आपकी पार्टी में घुस आये पीछे से छेद कर के।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी भावना को समझते हुए सभी माननीय सदस्यों को हमने ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): [000]

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से जो और कुछ चोरियां अभी तक हम रिकवर नहीं कर पाये हैं, हम लगातार इस प्रयास में हैं कि निश्चित रूप से जो बाकी चोरियां अभी तक नहीं खोल पाये वो भी खोलेंगे। इतना हमें भरोसा है।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पहले मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर की आबादी लगभग 6 लाख से ऊपर हो गयी है और उसमें 348 पुलिसकर्मियों की नफरी कैसे बीकानेर शहर की रखवाली कर पायेगी तो क्या आप पुलिस की नफरी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं? यदि रखते हैं तो वह कब तक पुलिस की नफरी आप बढ़ायेंगे?

दूसरा, हनुमानदास सिपानी, पर्टिकुलरली एक केस बता रहा हूं, ऐसे केस कई हैं, 27 लाख रुपये की चोरी उसके घर में हुई लेकिन दो महीने हो गये आज तक बरामदगी नहीं हुई। ऐसी बड़ी चोरी हो जाए और उस चोर को पकड़ा नहीं जाए तो इससे निश्चित रूप से जैसा आपने भी भावना व्यक्त की कि बीकानेर दहशत और चोरों के खिलाफ एक बहुत ऐसा वातावरण बना है कि जगह-जगह चोरियां हुई हैं, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए।

दूसरा, जो माल की बरामदगी हो जाती है उसके बाद माल की सुपुर्दगी में जो समय लगता है उसको कम करने के लिए आप क्या-क्या उपाय करने जा रहे हैं?

और अंत में एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि जिन थानों के अन्तर्गत ज्यादा चोरियां हुई हैं क्या उन थाने के पुलिसकर्मियों को बदलने का विचार रखते हैं?

डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जस्ट ए मिनट, गृह मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, जवाब आ जाए ...(व्यवधान)... नैक्स्ट में आप ...(व्यवधान)...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गृह मंत्रीजी, बिराजें। पूरे राजस्थान में चोरियां हो रही हैं। अकेले बीकानेर में नहीं पूरे राजस्थान में चोर गिरोह इतने सक्रिय हो गये हैं ...(व्यवधान)... आप बिलकुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गंगापुर सिटी के लिए आपके माननीय सदस्य भी बोलना चाह रहे हैं, मैं भी परेशान हूं, पूरे सवाई माधोपुर में जबरदस्त चोरियां हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं ...(व्यवधान)... थोड़ा इनका जवाब आने दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मैंने इस बात की कोशिश की कि संभागीय स्तर पर वर्ष में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर प्रत्येक थाने में जो भी चोरी, नकबजनी, सम्पत्ति सम्बन्धी जितने अपराध हैं उन सब लोगों के साथ बैठ कर एक-एक थाने का रिव्यु किया, जिन थानों का रिकवरी परसेंटेज बहत कम था या जिन्होंने 11 चोरियां हुई और 2 ही खोली उनको मैंने उसी समय थाने से बदल कर के और लाईन में भेजा है। ऐसा मैंने एक जगह नहीं, जिस संभाग में भी गया हूं, जिसका रिकवरी परसेंटेज कमजोर था, जिसका चालानी परसेंटेज विशेष कर के सम्पत्ति अपराध में, क्योंकि पुलिस की

एफिसिएंसी का मापदण्ड अगर कोई है तो वो रिकवरी है चोरी की और इस सम्पत्ति अपराध की और इसको बराबर मानीटरिंग किया है, मैं अपने स्तर पर भी करता हूं।

जहां तक संख्या है, नफरी कितनी बढ़ेगी, अभी आपने देखा होगा कि यह वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार है कि उन्होंने 11,200 पुलिसकर्मी की भर्ती का हम को आदेश दे दिया और इसी बजट में 3000 औरे दिया, 14,000 पुलिसकर्मी अगर इस छोटे से कार्यकाल में नयी भर्ती हो निश्चित रूप से उसके अनुपात में और लगभग आपने देखा होगा कि 300 नयी चौकियां और अभी जो बजट में 25 नये थाने मिले हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग कर के अधिक से अधिक संख्या पुलिस बल की कैसे बढ़ायी जाए।

जो आपने 27 लाख की चोरी की है, उसके बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं पर अभी इस ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चोरी की नहीं, चोरी हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में कितने पुलिस वालों की भर्ती हुई, यह भी बता दें गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 27 लाख रुपये की जो चोरी हुई है उस चोरी की बरामदगी का प्रयास भी करेंगे। इसी साल में हमने 10 लाख 25 हजार की रिकवरी, एक जो चोरी हुई थी उसकी रिकवरी भी की है। मेरे पास एक-एक केस के बारे में और उसकी रिकवरी, जहां तक सवाल है सुपुर्दगी करने का, जब तक कोर्ट से हम को उसकी सुपुर्दगी का आदेश नहीं मिलेगा हम सीधा सुपुर्दगी करने में सक्षम नहीं हैं।

डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अंत में एक प्रश्न और करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, फिर आप कर लेना।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी क्या इस बात का विचार रखते हैं कि जिन थानों के अन्तर्गत ज्यादा चोरियां हुई हैं वहां कोई आप किसी का दायित्व तय करेंगे? और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: बदल दिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्योंकि जिन थानों में ज्यादा चोरियां हुई हैं उसमें ऐसा लगता है कि वहां के पुलिसकर्मी इनवाल्व हैं नहीं तो चोर क्या पुलिस से छिपे हुए रहते हैं? जहां लगभग एक करोड़ 79 लाख रुपये तक की चोरियां हो जाएं, बहुत छोटी अवधि में इतनी बड़ी-बड़ी चोरी जिसमें 27 लाख का माल एक ही स्थान से चला जाए और वो थानेदार या वहां के एरिया से छिपा रहे तो मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब आपने क्योंकि जबरदस्ती छेड़ दिया, मैं तो उस विषय पर जाना नहीं चाहता। मैंने आपकी पूरी जन्मपत्री बना रखी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरी? मेरी क्या जन्मपत्री बना रखी है? ...(व्यवधान)...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): जन्मपत्री तो आपकी बना रखी है हमने ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट। मेरी जन्मपत्री आप कब से बनाने लग गये? आप पंडित हो गये क्या कभी? ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: यह तो पंडित का काम है ...(व्यवधान)... गृह मंत्रीजी, जन्मपत्री या हिस्ट्रीशीट? ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पुलिस वाले करम पत्री बनाते हैं जन्मपत्री नहीं बनाते हैं। ...(व्यवधान)...

Ars/usc/1150/1f/04032008/1

पुलिस वाले कर्म पत्री बनाते हैं जन्मपत्री नहीं और मैं कर्म से इतना स्वच्छ हूं कि ...(व्यवधान) आपका डंडा कहीं घुमा लें आप के डंडे के अन्तर्गत नहीं आने वाला हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो बीकानेर की बात है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए आज ऐसा लगता है कि आपके नींद की कमी है। आप एक लाख चार हजार को एक लाख चालीस हजार बोल गये फिर आप ...

श्री अमराराम (धोद): आपने जन्मपत्री बनायी है या इनकी हिस्ट्रीशीट बनायी है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जो भी जन्मपत्री, कर्मपत्री जानते हैं पढ़ लें, आपको छूट है लेकिन आप जो थानों में चोरियां हो रही हैं उनको रोकने पर पाबंदी लगाएं।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय गृह मंत्री जी आपके गृह मंत्री बनने के बाद सारे राजस्थान की मूर्तियां चोरी हो गयीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनका अंकित नहीं होगा।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किसकी परमिशन से बोल रहे हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): 000

श्री उपाध्यक्ष: इनका अंकित नहीं होगा।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): 000

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप। बीकानेर की जन्मपत्री से मतलब था आपकी थोड़े ही है कोई।

डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर): जितना वृत्तांत गृह मंत्री जी ने दिया है इस चोरियों में बार बार चोरी करने वाले हैबीचुअल आफेन्डर क्या आपने आइडेन्टिफाई किये हैं? यदि

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

किये हैं तो उनके खिलाफ कोई पुख्ता कार्यवाही हुई? दूसरा, वाहन चोरों का मामला बहुत ज्यादा पूरे राजस्थान में है, गृह मंत्री जी की जानकारी में है, आप सबकी जानकारी में है तो मैंने यहां एक बार कलैक्टर कान्फ्रेंस में ध्यान आकर्षित किया था। यू पी और बिहार में सारे चोर वाहनों को पार कर देते हैं, हम भरतपुर की सीमा तक तो मुलजिमों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं लेकिन क्या गृह मंत्री जी यू पी और बिहार में जो माफियाज वहां डवलप हैं, जहां राजस्थान का सत्तर प्रतिशत वाहन जाता है उनके खिलाफ यहां की पुलिस भेजकर पुख्ता कार्यवाही करायेंगे? चौथा कई लोग जिनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं वह सी एल जी के मैम्बर बने हुए हैं, उनको सरकार हटाने का इरादा रखती है?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी ने कहा कि हम ग्यारह हजार कुछ भर्ती करने जा रहे हैं और तीन हजार पहले, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो रिटायरमैंट हो रहे हैं पुलिस कर्मी इनके अगेन्स्ट में भर्ती करेंगे या नई पोस्ट क्रियेट कर रहे हैं इस बजट में? यह जरा सदन को जरूर बता दीजिएगा।

श्री उपाध्यक्ष: वह आ जाएगा। सब शामिल ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो पद रिक्त थे उनके अगेन्स्ट तो पहले से ही हमको 11,200 पिछले वर्षों में मिल गयी। यह जो तीन हजार की भर्ती है यह हमारी वेकेन्सी के अतिरिक्त है। दूसरा जो विशेषकर के वाहन चोरों का जिस प्रकार का एक तरह से इस प्रदेश में बढ़ा हुआ है अपराध उसके लिए निश्चित रूप से मैं सोचता हूं दस तारीख को जब डिमांड डिस्कस होगी, हम अबकी बार कोई अलग से ही एक फोर्स बनायेंगे जो केवल व्हीकल चोरी का ही काम करेगी पूरे प्रदेश को ध्यान में रखतेहुए और इसके लिए अलग से ही टीम गठित जैसे एस ओ जी गठित की है वैसे ही केवल व्हीकल चोरी के लिए ही अभियान चलाकर के इस काम को करेंगे निश्चित रूप से।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं काफी देर से आपसे निवेदन कर रहा था, आपने इधर देखा हीनहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बीकानेर का प्रश्न हो तो पूछिये आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने जो वाहन चोरी के हैं उनमें यह कह दिया कि हमने एक टीम गठित की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधायक विजय जी बंसल की गाड़ी चोरी हो गयी, वह आज तक बरामद नहीं हुई। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो टीम गठित की है..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जनरल जगह जगह की चोरियों के बारे में ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): जो आपने टीम गठित की वह जिस अधिकारी को आपने ...(व्यवधान) पहले सुनें आप।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): सात दिन पहले म्हारी गाड़ी चोरी हो गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आपने एक टीम गठित की है वाहन चोरों को पकड़ने के लिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय घनश्याम जी, आपको पीड़ा होगी, सात दिन पहले हमारी गाड़ी चोरी हो गयी, मैंने मंत्री जी को निवेदन भी कर दिया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) यह प्रश्न अलग है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं गृह मंत्री जी से आपने जिस अधिकारी को वाहन चोरों को पकड़ने के लिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीकानेर से संबंधित है माननीय सदस्य?

एक माननीय सदस्य: बनवारीलाल जी की भी हो गयी है ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं गृह मंत्री जी से कि आपने जिस अधिकारी को वाहन चोरों को पकड़ने के लिए लगाया है, आपने क्या उसको ...(व्यवधान) वह आपके हंसराज मीणा, कमलेश मीणा इनको पकड़कर लाया और एक सरदार जी के बाल काटे, वह थानेदार उस मीणा को भी पकड़कर लाया जिसने बाल काटे थे, क्या आपने उसको पुरस्कृत किया क्या अपनी तरफ से क्या आप करना चाह रहे हैं क्या उसको? मैं यह पूछना चाह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत। ...(व्यवधान) कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने यह कहा कि दस तारीख को जब पुलिस डिमांड है उस दिन हम विशेषकर के चोरी की बरामदगी की दृष्टि से टीम गठित करने की बात, मैंने दस तारीख के लिए जब हमारी पुलिस की डिमांड होगी उस दिन इसका गठन करने के बारे में जो विचार हमारा बन रहा है उस दिन मैं डिक्लियर करूंगा कि टीम बनायेंगे। अभी तो ....

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं यह कह रहा हूं कि सरदार जी के बाल काटने का मामला अन्तराष्ट्रीय हो गया था और आपकी पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा था, आपका थानेदार उसको पकड़कर लाया, क्या आपने उसको पुरस्कृत करने का विचार किया क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, वह उस रोज दस तारीख को बतायेंगे ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उत्तरदायित्व किसी का फिक्स करोगे कि नहीं इतनी बड़ी चोरियों के बारे में?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको पहले ही बता दिया उत्तरदायित्व नहीं हम मानीटरिंग करते हैं। जहां का भी चोरी का परसण्टेज कम है, जिनका चालानी परसण्टेज कम है उनके खिलाफ निश्चित रूप से हमारी कार्यवाही हो रही है। मैं स्वयं भी जाता हूं तो

उसको रिव्यु करके उनके सारे निकालकर के निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय करके आता हूं उसी समय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाकी जो चोरियां रह गयी हैं उनको बरामद कब तक कर देंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कह दिया ना, कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत।

विधानसभा क्षेत्र भीम के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल योजनाएं

161. श्री हरीसिंह रावत (भीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या सरकार पेयजल की समस्याओं के समाधान हेतु 1500 की आबादी वाले ग्रामों जैसा बार डासरिया, लसाडिया, मियालाखेत, राजवा, नोखावास को पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री)☹1) जी हां। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक जनसंख्या वाले हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित तहसील भीम के ग्राम लसाड़िया (जनसंख्या वर्ष 2001-1525) एवं मियालाखेत (जनसंख्या वर्ष 2001-1992) को पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच क्रिया में हैं।

शेष चार गांव क्रमश: बार, डासरिया, राजवा एवं शेखावास हेतु हैण्डपम्प योजना से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। योजना के सक्षम स्तर पर प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति बाबत निर्णय संभव होगा।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित कतना चाहता हूं। यहां जो आपने बताया लसाड़िया और मियालाखेत इसी अनुरूप करीब मेरे दस गांव और भी हैं जिनकी कालागुमानी की जनसंख्या है सैंसस 2001 के हिसाब से 2105, मियालाखेत 1992, डासरिया 1984, तीतरी 1794, शेखावास 1674, बार 1602, राजवा 1587, लसाड़िया 1525, सदा भोज का बाड़िया 1520, डूंगरखेड़ा 1514, तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। अगर इसी योजना में ले रहे हैं तो दो के अलावा यह जो बाकी हैं इनको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, इस बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की जो विभिन्न योजनाएं बनती हैं इसके लिए सबसे पहला तो जरूरी है कि वहां पर सोर्स होना चाहिए और जहां तक सोर्स उपलब्ध नहीं होता तो फिर हैण्डपम्प जिसमें कम से कम डिस्चार्ज के आधार पर पानी उपलब्ध होता है तो गांवों के अन्दर हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। तो माननीय सदस्य ने जो पूछा यह लिस्ट हमारे पास भी है कि कहां की आबादी 1500 है और अधिक है तो जैसे जैसे सोर्स मिलेगा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं

कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि लोगों को पानी उसी तरीके से मिले, पम्प एण्ड टैंक के आधार पर, रेवेन्यू स्कीम के आधार पर और इस चार साल में बहुत योजनाएं हमने सैंक्शन की हैं तो जहां भी सोर्सेज की उपलब्धि होगी उसके ऊपर विचार किया जाना संभव होगा।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र पूरा पथरीला और पहाड़ी एरिया है। वहां अगर हैण्डपम्प की कहीं योजना भी लागू करना चाहें तो वहां गाड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में उन गांवों का क्या किया जाएगा क्योंकि न तो हैण्डपम्प लग सकता है और न ही पानी की दूसरी कोई व्यवस्था है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां कोई ऐसी परमानैंट योजना का विस्तार किया जाय ताकि हर गांव को पानी मिल सके।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अभी सोलह पंचायतें अकाल की चपेट में हैं वहां भी पानी की इस समय भंयकर समस्या है जैसे भीम, टोबी, बल्ली, कूकडा, थानेसा, लसाडिया, कालादी, अजीतगढ़, समेलिया, जैतगढ़, बार, डूंगरखेड़ा, सारोड़ा, लगेसाखेड़ा, शेखावास और पोरवास ...(व्यवधान) यहां भी उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी है कि वहां अकालग्रस्त है और वहां पानी की बहुत भंयकर समस्या है और जानवरों के भी पीने की समस्या है तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां भी तत्काल व्यवस्था करायी जाए।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक जिस प्रकार भोमादेय योजना मेरे लागू की है उसी प्रकार से छापली का एक जो एनीकट बन रहा है हरीसागर अगर वहां का भी ...(व्यवधान) आठ मीटर का जो प्रस्ताव है उसकी जगह अगर पच्चीस मीटर कर लिया जाए तो इसमें बीच में पड़ने वाले जो गांव हैं उसमें पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ....

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बड़ी योजनाएं तो आप सैंक्शन कर देते हैं लेकिन छोटे छोटे पाइपों को चैंज करने के लिए, छोटे छोटे जो ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरीसागन में छापली पड़ने वाले ...(व्यवधान) जो आने वाले बीच में गांव पड़ते हैं ...(व्यवधान) मोहन जी मेरी बात तो सुन लो, इसमें बीच में पड़ने वाले गांव हैं

vns/usc/12.00/4.3.2008/1g/1

छापली, छीमाखेड़ा, बड़जाल, बागाना, कामलीघाट, विजयपुरा से होते हुए देवधर तक मेरे पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा इसलिए मेरा मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि उस 8 मीटर को भी 25 मीटर में ले लें। ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक मेरा भी प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय ... (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा और निवेदन है कि ग्रामीण जनता जल योजना की जो क्रियान्विति हुई गांवों में वहां भत्ता केवल 500 रुपये देते हैं। 500 की जगह अगर उसको 2500 रुपया कर दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि उसके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्रामीण जनता जल योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भत्ता केवल 500 रुपये ही दिया जाता है, उसको 2500 अगर कर दिया जाए तो यह अच्छा रहेगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है पहाड़ी एरिया है, हैंड पम्प खोदने में भी प्राब्लम आती है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि छोटी मशीनें भेजने की हम व्यवस्था करेंगे, पानी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे चाहे टैंकर लगाने की आवश्यकता हो। चार साल में भी जहां-जहां संभव था, माननीय सदस्यों ने बताया हमने योजनाएं बनायी हैं। अब आप एनीकट की बात कर रहे हैं कि 8 मीटर से एकदम 25 मीटर की, तो मैं यहां से लोकेशन जानता नहीं हूं। अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी, एक बार इसको एग्जामिन करवा लेंगे। निश्चित रूप से अगर फिजीबल होगा और उसकी वजह से कहीं कोई अड़चन नहीं आती है तो उस पर विचार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरा, जनता जल योजना का है। अब इसके बारे में तो आप जानते हैं वित्तीय मामले में हम बातचीत करेंगे जो भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। अनुपस्थिति के लिए अनुमति ... (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप गैर हाजिर ... (व्यवधान) आपका कॉल कर लिया ... (व्यवधान)

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्रीमती सुमित्रा सिंह, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को दिनांक 4 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती सुमित्रा सिंह, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण दिनांक 4 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

अनुमति प्रदान की गयी। दिनांक 4 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय दुबारा दुर्घटनाग्रस्त हो गयी हैं या पहले वाले एक्सीडेंट से ही छुट्टी ले रही हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): श्रवण जी, आप बताओ।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): वह बी जे पी की परीक्षा ले रही हैं कि हमारे बगैर विधान सभा चला सकते हैं क्या ? कोई बीमारी नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 4 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 मार्च, 2008 से 20 मार्च, 2008 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1 श्री जुबेर खान एवं 9 अन्य सदस्यों की और से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की फसल को पर्याप्त बिजली एवं पानी नहीं मिलने से फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

इसी विषय पर इसी सत्र में सदन में विभिन्न अवसरों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा सरकार ने उत्तर भी दिया है साथ ही दिनांक 13 मार्च को सिंचाई विभाग की अनुदान की मांग एवं दिनांक 15 मार्च, 2008 को बिजली पर विस्तृत चर्चा रखी गयी है। माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अंत: स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की और से बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर में पाक सीमा से सटे प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि के बेचान की सी बी आई से जांच कराने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रकरण तत्काल घटित घटना से संबंधित नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

1 श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु खाखून्दा में बाँध का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

2 श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली एवं बामनवास में नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा नहीं देने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

3 श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम नारहेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

4 श्री ऐमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य की और से नगर पालिका तिजारा को अपने क्षेत्र की सम्पत्तियों के बेचान पंजीकरण पर आधा प्रतिशत उप कर को हटाने के सम्बन्ध में।

5 श्री समाराम गरासिया, सदस्य की और की माउण्ट आबू की सालगांव बाँध परियोजना को स्वीकार कर लागू करने के सम्बन्ध में।

6 श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।

7 श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की और से ग्राम लोथल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण होने के उपरान्त भी वहां पी एच सी नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में।

8 श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की और से निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को मकान निर्माण हेतु दिये जाने वाले आवास ऋण पर ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की छूट देने के सम्बन्ध में।

9 श्री जगसीराम कोली, सदस्य की और से रेवदर पंचायत समिति में अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी अनुसूचित जाति की तरह कृषि कुओं में विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

10 श्री श्रवण कुमार, सदस्य की और से पिलानी की नगर पालिका के सरकारी रिकार्ड में काट छांट करने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11 श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की और से मेड़ता कृषि मंडी में किसानों को अपनी फसलों को लाने ले जाने हेतु सड़कों का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

12 श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की और से जिला प्रमुख, उदयपुर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया। ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे काफी माननीय सदस्यों ने राजस्थान में जो पानी फसलों को नहीं मिल रहा है, नहरी क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, बाकी इलाकों में बिजली नहीं आने की वजह से नहीं मिल रहा है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर दे दी मैंने व्यवस्था ... (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जा चुकी है माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाषण देने के लिए ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी मंशा हाउस को चलाने की नहीं है ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना पानी इस सरकार के कार्यकाल में मिल रहा है कांग्रेस ... (व्यवधान) किसानों को नहीं दी है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान में सबसे ज्यादा हुई है ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): इसके ऊपर चर्चा कराने ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ... (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है ... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 000

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्याम/चौहान /04.03.2008 /12.10 /1h

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 000

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.12 बजे आधे घंटे के लिये स्थगित हुई।)

jyg/akt/4.3.8/12.40/1l

(12.42 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन को नहीं चलाना चाहते हैं। (व्यवधान) आप बिजनस होने दें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काग्रेस पार्टी के नेता यह बता दें कि पिछले पाँच साल में किसानों के लिए क्या किया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कांग्रेस ने अपने शासन काल में किसानों को बिजली नहीं दी, पानी की व्यवस्था नहीं की और अभी इनके नेता भी कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप अपनी बात रखें, बोलने का मौका दिया जाएगा। आप सदन को चलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अपना नेता तो तय करो। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं, यह बताएं पहले, कोई भी बात है उसको एक व्यक्ति कह दे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लाखों किसान आज बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश से यहां इकट्ठे हुए हैं, उनकी समस्याओं को रखने के लिए आज हमने ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में शोर व नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन को चलने दीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपको कहने का अवसर मिलेगा, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): आप किसानों के विरोधी रहे हो, चाहे रोड का मामला हो चाहे बिजली पानी का मामला हो। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं बैठते हैं तो फिर आसन को अपनी कार्यवाही करनी पड़ेगी ...(व्यवधान)... । आपको कहने का मौका मिलेगा।

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तीव्र शोर व नारेबाजी)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ...(व्यवधान)... सरकार किसानों को पानी नहीं दे रही है, उनको पानी देने का आश्वासन दे दिया ...(व्यवधान)... आज हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। ...(व्यवधान)... आप शांति रखिए। ...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तीव्र शोर व नारेबाजी)

अब कुछ भी अंकित नहीं होगा।

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तीव्र शोर व नारेबाजी)

माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

Gpc/akt/04032008/1250/1m

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ..(व्यवधान).. सदन की बैठक आधा घंटे के लिए और स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.50 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई)

मोहन/अरूण/04032008/1320/1p

(13.20 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की रैली चूंकि फ्लाप हो गई है, यह एक महीने से घूम रहे थे और 15 हजार आदमी आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए आप ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जनता ने इनको आईना दिखा दिया, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस सदन में गतिरोध पैदा किया गया है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आसन ग्रहण कर लीजिए, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनकी रैली फ्लाप हो गई। ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लाखों किसान विधान सभा के बाहर अमरूदों के बाग़ में जमा हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए तो सही। आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। मैं फिर बिजनेस शुरू कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, या तो आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

मुझे माननीय सदस्यों को निवेदन करना है कि 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं का पढ़ा हुआ मान लिया गया है। ...(व्यवधान)...

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दों पर कल चर्चा होगी। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता जान चुकी है। ...(व्यवधान)... इस विधान सभा में हो-हल्ला इसलिए करना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के द्वारा ...(व्यवधान)... इन्होंने यह जो रैली आयोजित की है, वह फेल हो चुकी है। वहां संख्या कुछ भी नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के बाहर ...(व्यवधान)... विधान सभा में उसके ऊपर चर्चा कराई गई है। हमारा आपसे निवेदन है

कि जो किसान बिजली के लिए, पानी के लिए, बॉर्डर की जमीन बेच दी उसके लिए जो किसान यहां संघर्ष करने आया है।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्षः श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य, विधान सभा, तीन याचिकाओं को उपस्थापित करेंगे। -अनुपस्थित।

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री नरपत सिंह राजवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य:विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी रखने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2008 का अध्यादेश संख्या-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या-8) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-42 उद्योग की प्रस्तुति

-श्री राजेन्द्र राठौड़

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़ उद्योग मंत्री की तरफ से अनुदान की मांग संख्या-42

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)(उद्योग मंत्री के स्थान पर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,26,21,000/- (बहत्तर करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

मांग संख्या-43 खनिज की प्रस्तुति

-श्री लक्ष्मीनारायण दवे

श्री उपाध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण दवे, खनिज मंत्री अनुदान की मांग संख्या-43

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,33,65,000/- (चवालीस करोड़ तैंतीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाथूसिंह गुर्जर, सहकारिता मंत्री अनुदान की मांग संख्या-36 पर विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या-36- सहकारिता की प्रस्तुति

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या-36- सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,56,38,23,000/- (एक अरब छप्पन करोड़ अड़तीस लाख तेईस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

मांग संख्या-42 उद्योग, 43 खनिज एवं 36 सहकारिता पर विचार

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-42 उद्योग, 43 खनिज और 36 सहकारिता पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... इनको किसानों ने ठुकरा दिया, किसानों के ऊपर केवल आंसू बहाने वाले हैं, इनके नेता का पता नहीं ...(व्यवधान)...

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक एक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसी कांग्रेस पार्टी है, कभी कोई नेता बनता है, कभी कोई नेता बनता है, अभी यह तय नहीं है कि श्रीमान नारायण सिंह जी के नेतृत्व में यह रैली है या सी पी जोशी जी के नेतृत्व में है या अपने अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में है, ये किसका नेतृत्व है, यह तो बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब 1995-96 में ...(व्यवधान)... राजस्थान में 214 करोड़ रुपये था। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आपको समय दिया जाएगा।...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और उसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जिस रैली की यह बात कर रहे थे वह 12 हजार आदमी भी नहीं पहुंचे हैं। ...(व्यवधान)...फ्लाप रैली, फ्लाप नेता और उसके आधार पर बोखला कर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

सुरेन्द्र/अरुण/04.3.2008/13.30/1q

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बोलना नहीं चाहते हैं? (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बैठिये। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.30 बजे एक घंटे के लिए स्थगित की गई)

vkj/akt/1430/2f

(14.30)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाखों किसान विधान सभा के बाहर हैं। लाखों किसान सड़क पर हैं। (व्यवधान)

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इनकी रैली फ्लाप होने के कारण इनकी हवाइयां उड़ रही हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह से यह इनकी फ्लाप रैली है। (व्यवधान) कोई आया नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप किसानों की समस्या सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किसान वर्ग के लोगों ने इनको असली चेहरा दिखा दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, रैली फ्लाप होने के बाद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य को बोलने दीजिये माननीय सदस्य। श्री शान्तिलाल चपलोत। श्री शान्तिलाल चपलोत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): जनता पूरी तरह से ठुकरा चुकी है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) मर्जी आये सो कर दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आप एक मिनट में.... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लाखों किसान सड़क पर हैं। लाखों किसान सड़क पर हैं, लाखों हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36, 42 व 43 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपको नकार दिया है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, केवल 5000 आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लाखों किसान सड़क पर हैं। लाखों किसान सड़क पर हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का अपहरण हो गया, इनका नेता कौन है, यह तो बताओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का अपहरण हो गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके चेहरे देखो, इनकी हवाइयां उड़ रही हैं (व्यवधान) राजस्थान के किसान के हितैषी हैं, इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। (व्यवधान) बड़ी रैली की डींग हांक रहे थे। 15000 आदमी हैं पूरे राजस्थान से (व्यवधान) पूरे राजस्थान से 15000 आदमी हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। आप बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपको बोलने का मौका दिया जायेगा। आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बीच में टोकाटोकी मत कीजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की रैली पूर्ण रूप से फ्लाप है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय चपलोत जी बैठिये। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) आप बहस नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य, आप लोग मांग पर बहस नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखना चाहते हैं, अत: उनको सदन के पटल पर रखने की अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उद्योग मंत्रीजी। माननीय उद्योग मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-43 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। (व्यवधान) आप इस मांग के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन का समय जाया करना चाहते हैं इसलिए मांग संख्या-43 के सम्बन्ध के मेरा वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग से सम्बन्धित मेरा वक्तव्य, चूंकि ये सुनना नहीं चाहते, बहस नहीं करना चाहते, ये किसानों के हितैषी नहीं हैं इसलिए मैं मेरा वक्तव्य सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये कांग्रेस पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्होंने अपने शासन में राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय किया है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मांग संख्या-43 खनिज को पारित की जाये।

मांग संख्या-43 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,33,65,000 तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या-42 उद्योग को पारित किया जाये।

मांग संख्या-42 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,26,21,000 तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या 36 को पारित किया जाये, स्वीकार किया जाये।

मांग संख्या-36 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,56,38,23,000 तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 5 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.40 बजे, बुधवार दिनांक 5 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)